

न्यायालय तहसीलदार कठुमार (अलवर) राज.

गिराफ्तार नम्बर - 2010/2021


धारा 514 R Act

धारा 514 R Act

निर्णय दिनांक :- 30/11/2021

क्रमांक. RA/3/21

प्रकरण संख्या 1429 कुल रकमा 0.20 किरम जमीन 0.01 में से 0.01 है
 जे.शे.ड.0 अतिक्रमिता पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर
 विटका कलमा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का रियपुरी द्वारा दिनांक
 18.10.2021 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद
 भू.अ.निरी. रियपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण वर्ज रजिस्टर किया
 जाकर अतिक्रमी जे.शे.ड.0 अतिक्रमिता जाति जांख निवासी सिंघदेडा को भू.
 अधिनियम 1966 की धारा 81 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
 उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रायली है।
 उक्त रकमवा आ.ख.न. 1429 रकमा 0.20 में से 0.01 है
 किता किता से जो निशान में लागू नहीं है सिंहाजा औरसाथम को अतिक्रमित
 कार्य से बंदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरुप लगान 0.07 Pause
 को भुना 41-2 रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांठा कायमी हेतु टीआरए को लिखा
 जावे पैनल्टी वसूली एवं बंदखली हेतु हल्का पटवारी रियपुरी भू.अ.निरी.
 रियपुरी को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
 सुनाया गया।


 तहसीलदार
 कठुमार (अलवर) राज.

तहसीलदार
 कठुमार, अलवर (राज.)

प्रतिनिधि :- प. ड.

2021-22 117
 5
 4
 15/12/21
